



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]  
No. 2 ]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1988/ज्येष्ठ 28, 1910  
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1988/JYAISTHA 28, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than Defence)

कार्मिक लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)  
नई दिल्ली, 1 जून, 1988

सा.का.नि. 475 केन्द्रीय सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सामुहिक सेवा नियम 1969 के नियम 24 के अन्तर्गत में, भूतपूर्व कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग वृहत् मंत्रालय द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सचिवालय सामुहिक सेवा श्रेणी (घ) (विशेष प्रतिपौष्टिता परीक्षा) विनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सामुहिक सेवा श्रेणी (घ) (विशेष प्रतिपौष्टिता परीक्षा) संशोधन विनियम 1988 है।

(2) ये नियमों में प्रकाशनों की शरों को प्रयुक्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय सामुहिक सेवा श्रेणी (घ) (विशेष प्रतिपौष्टिता परीक्षा) विनियम 1971 में,

(1) उद्देशिका में "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, वृहत् मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

(2) विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (घ) के अन्तर्गत में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संप की सीवेना, सेना और नारुसेना में किसी रैंक में कोई संधक या परीक्षक सेवा की है (किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, साधारण रिजर्व इन्वीन्टरी बल, लोक सहयक सेवा, और अर्धसैनिक बलों में सेवा की है), और

(i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन उपार्जित करने के पर्यन्त सेवा निवृत्त हो गया है; या

(ii) जो सेवा सेवा के परिणामस्वरूप अपने निर्देशक के द्वारा चिकित्सीय आधार पर सेवा से निवृत्त कर दिया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य निवृत्तता पेंशन प्रदान की गई है; या

(iii) जो ऐसी सेवा से अपनी स्वयं की प्रार्थना पर से अन्वया स्थापन में कमी करने के परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया है; या

(iv) जो ऐसी सेवा से स्वयं की प्रार्थना पर या कदाचार अथवा अप्रसन्नता के कारण सेनेम्भोचिड या परवृत्त किए जाने से निवृत्त

18.	Notification	No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69 GSR No. 1682
19.	"	No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70 GSR No. 173 dated 31-1-70
20.	"	No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70 GSR No. 204 dated 7-2-70
21.	"	No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70 GSR No. 723 dated 2-5-70
22.	"	No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70 GSR No. 1161 dated 15-8-70
23.	"	No. 1/4/70-B(A), dated 28-5-70
24.	"	No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-72 GSR No. 367 dated 2-3-72
25.	"	No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-72 GSR No. 869 dated 8-7-72
26.	"	No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73 GSR No. 228 dated 3-3-73
27.	"	No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73 GSR No. 476 dated 5-5-73
28.	"	No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74 GSR No. 256 dated 9-3-74
29.	"	No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30.	"	No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75 GSR No. 894 dated 19-7-75
31.	"	No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75 GSR No. 801 dated 28-6-75
32.	"	No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76 GSR No. 677 dated 15-5-76
33.	"	No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76 GSR No. 1671 dated 27-11-76
34.	"	No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78 GSR No. 95 dated 20-1-79
35.	"	No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80 GSR No. 1118 dated 25-10-80
36.	"	No. 12019/1/78-B(A), dated 16-12-80 GSR No. 44 dated 10-1-81
37.	"	No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10-81 (First Amendment), GSR No. 1002 dt. 7-11-81
38.	"	No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-82 GSR No. 137 dated 6-2-82
39.	"	No. 45011/83-82/B(A), dated 23-10-84 GSR No. 740(EO)
40.	"	No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85
41.	"	No. 45011/83-82/B(A)-Vol. IV(II) dated 8-5-87
42.	"	No. 1/19/86-S.II/AIR/B(A), dated 25-10-87
43.	"	No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dated 4-4-88
44.	"	No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88

नई दिल्ली, 26 मई, 1988

सा.सा.नि. 497--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परलोक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह 'ख' पर) भर्ती नियम, 1982 का धौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, यथातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ख' पर) भर्ती (समुप संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये नियमों में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह 'ख' पर) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची में शामिल तथा प्राविश्य अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 धौर उसके सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा यथातः—



यदि विभागीय प्रोत्सति समिति है तो उसकी संरचना

सर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

सागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 12019/2/187-बी(ए)]  
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि.सं. 347, तारीख 17-3-1962 के अधीन भारत के राजपत्र, 1962 (अनुधारण) भाग 2 खंड 3 उपखंड (1) में प्रकाशित हुए थे और बाद में उनका संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया :

1. अधिसूचना सं. 5(9)58-बी.ए., तारीख 4-5-1962 सा.का.नि. 721  
तारीख 26-5-62
2. अधिसूचना सं. 11(6)62-बी(ए), तारीख 18-10-62  
सा.का.नि. 1412, तारीख 27-10-63
3. अधिसूचना सं. 5(89), 58-बी(ए), तारीख 20-11-62  
सा.का.नि. 1627, तारीख 1-12-62
4. अधिसूचना सं. 9, 7, 62-बी(ए), तारीख 8-1-63  
सा.का.नि. 123, तारीख 8-1-63
5. अधिसूचना सं. 13, 55, 61-बी(ए), तारीख 8-7-63  
सा.का.नि. 1225, तारीख 20-7-63
6. अधिसूचना सं. 5, 43, 62-बी(ए), तारीख 5-8-63  
सा.का.नि. 1319, तारीख 10-8-63
7. अधिसूचना सं. 11, 2, 61-बी(ए), तारीख 31-1-62  
सा.का.नि. 1310, तारीख 12-9-64
8. अधिसूचना सं. 11, 3, 63-बी(ए) तारीख 31-10-64  
सा.का.नि. 1564, तारीख 15-10-64
9. अधिसूचना सं. 11, 6, 64-बी(ए), तारीख 28-4-65  
सा.का.नि. 705, तारीख 8-5-64
10. अधिसूचना सं. 5, 45, 65-बी(ए), तारीख नवम्बर, 1965
11. अधिसूचना सं. 11, 4, 65-बी(ए), तारीख 31-12-65  
सा.का.नि. 58, तारीख 8-1-66
12. अधिसूचना सं. 13, 3, 65-बी(ए), तारीख 1-11-65  
सा.का.नि. 1782, तारीख 26-11-66
13. अधिसूचना सं. 11/4/65-बी(ए), तारीख 24-12-66  
सा.का.नि. 1973, तारीख 29-12-66
14. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी(ए), तारीख विसम्बर, 1967
15. अधिसूचना सं. 20/6/67-बी(ए), तारीख 23-6-68  
सा.का.नि. 541, तारीख 23-3-68
16. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी(ए), तारीख 30-4-68  
सा.का.नि. 910, तारीख 30-4-68
17. अधिसूचना सं. 20/6/67-बी(ए), तारीख 17-7-69  
सा.का.नि. सं. 1761, और 1821
18. अधिसूचना सं. 7/12/68-बी(ए), तारीख 19-7-69  
सा.का.नि. सं. 1682

19. अधिसूचना सं. 17/9/68-बी(ए), तारीख 6-1-70  
सा.का.नि. सं. 173, तारीख 31-1-70
20. अधिसूचना सं. 17/7/69-बी(ए), तारीख 21-1-70  
सा.का.नि. सं. 204-तारीख 7-2-70
21. अधिसूचना सं. 17/8/69-बी(ए) तारीख 2-4-70  
सा.का.नि. सं. 723, तारीख 2-5-70
22. अधिसूचना संख्या 7/2/68-बी(ए), तारीख 24-4-70  
सा.का.नि. सं. 1161, तारीख 15-8-70
23. अधिसूचना संख्या 1-4-70-बी(ए), तारीख 25-8-70
24. अधिसूचना सं. 17/9/69-बी(ए), तारीख 21-2-72  
सा.का.नि. सं. 369, तारीख 2-8-72
25. अधिसूचना संख्या 1/9/71-बी(ए), तारीख 6-6-72  
सा.का.नि. सं. 689, तारीख 8-7-72
26. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी(ए), तारीख 13-2-73  
सा.का.नि. सं. 228, तारीख 3-3-73
27. अधिसूचना संख्या 1/9/72-बी(ए), तारीख 10-4-73  
सा.का.नि. सं. 476, तारीख 5-5-73
28. अधिसूचना संख्या 1/5/73-बी(ए), तारीख 16-2-74  
सा.का.नि. सं. 356, तारीख 9-3-74
29. अधिसूचना संख्या 1/12/73-बी(ए), तारीख 4-4-75
30. अधिसूचना संख्या 1/12/73-बी(ए), तारीख 24-6-75  
सा.का.नि. सं. 894, तारीख 19-7-75
31. अधिसूचना सं. 17/9/69-बी(ए), तारीख 11-6-75  
सा.का.नि. सं. 801, तारीख 18-6-75
32. अधिसूचना संख्या 1/15/75-बी(ए), तारीख 15-4-76  
सा.का.नि. सं. 677, तारीख 15-5-76
33. अधिसूचना संख्या 1/12/73-बी(ए), तारीख 4-11-76  
सा.का.नि. सं. 1671, तारीख 27-11-76
34. अधिसूचना संख्या 12019/9/78-बी(ए), तारीख 26-12-78  
सा.का.नि. सं. 95, तारीख 20-1-79
35. अधिसूचना संख्या 12018/4/77-बी(ए), तारीख 4-9-80  
सा.का.नि. सं. 1118, तारीख 25-10-80
36. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी(ए), तारीख 16-12-80  
सा.का.नि. सं. 44, तारीख 10-1-81
37. अधिसूचना सं. 12019/8/80-बी(ए), तारीख 20-10-81  
(प्रथम संशोधन) सा.का.नि. सं. 1002 तारीख 7-11-81
38. अधिसूचना संख्या 12018/4/77-बी(ए), तारीख 15-1-82  
सा.का.नि. सं. 137, तारीख 6-2-82
39. अधिसूचना संख्या 45011/83/83-बी(ए) तारीख 23-10-84  
सा.का.नि. सं. 740(इ. ओ.) तारीख 23-10-84
40. अधिसूचना संख्या 12019/6/83-बी(ए), तारीख 28-6-85
41. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी(ए), जिल्द 4(11) तारीख 8-5-87
42. अधिसूचना संख्या 1/9/86-एस.11, ए.आई.आर.-बी(ए), तारीख 25-10-87
43. अधिसूचना संख्या 8/45-87, एस-2, ए.आई.आर/बी(ए), तारीख 4-4-1988
44. अधिसूचना संख्या 7/6/87-ए.आई.आर./बी(ए) तारीख 12-4-1988
45. अधिसूचना संख्या 14/18/86--एस.2/बी(ए), तारीख 2-5-88

New Delhi, the 26th May, 1988

G.S.R. 497.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962\*, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1988.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 2 relating to the post of Invitation and Hospitality Officer and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Name of Post	No. of post.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"2. Invitation and Hospitality Officer.	1* (1988) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Not applicable.	No	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Period of probation, if any.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.				If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
10	11	12	13	14				
Not applicable	By transfer or deputation	Transfer or Deputation : Officers of the Central/State Governments including Union Territories : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the Scale of Rs. 1640-2900 or equivalent, or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2600 or equivalent; and (b) possessing experience in protocol matters, making arrangements for convening international conferences, meetings of Very Important Persons/Foreign dignitaries and obtaining passports, health certificates, visa, foreign exchange, and 'P'-form clearance etc. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).				Not applicable.		Consultation with Union Public Service Commission is necessary

Note: \*Principal Rules published vide G.S.R. No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary Part-II Section 3 Sub-section (1) Subsequently the following amendments were notified :-

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-1962  
GSR No. 721 dated 26-5-1962
2. " No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-1962  
GSR No. 1412 dated 27-10-1962
3. " No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-1962  
GSR No. 1627 dated 1-12-1962
4. " No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63  
GSR No. 123 dated 8-1-53
5. " No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63  
GSR No. 1225 dated 20-7-63
6. " No. 5/43/62-B(A), dated 5-8-63  
GSR No. 1319 dated 10-8-63
7. " No. 11/2/61-B(A), dated 31-1-62  
GSR No. 1310 dated 12-9-64
8. " No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64  
GSR No. 1964 dated 13-10-64
9. " No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65  
GSR No. 705 dated 8-5-65
10. " No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11. " No. 11/4/65-B(A) dated 31-12-1965  
GSR No. 58 dated 8-1-66
12. " No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-65  
GSR No. 1782 dated 26-11-66
13. " No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66  
GSR No. 1971 dated 29-12-66
14. " No. 7/1/67-B(A), dated December, 1967
15. " No. 20/6/67-B(A), dated 23-6-68  
GSR No. 541 dated 23-3-68
16. " No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68  
GSR No. 910 dated 30-4-68
17. " No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69  
GSR Nos. 1761 and 1821
18. " No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69  
GSR No. 1682
19. " No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70  
GSR No. 173 dated 31-1-1970.
20. " No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70  
GSR No. 204 dated 7-2-70
21. " No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70  
GSR No. 723 dated 2-5-70
22. " No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70  
GSR No. 1161 dated 15-8-70
23. " No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. " No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-72  
GSR No. 369 dated 2-3-72
25. " No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-72  
GSR No. 869 dated 8-7-72
26. " No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73  
GSR No. 228 dated 3-3-73
27. " No. 1/9/72 B(A), ate 10-4-73  
GSR No. 476 dated 5-5-73
28. " No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74  
GSR No. 256 dated 9-3-74
29. " No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30. " No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75  
GSR No. 894 dated 19-7-75
31. " No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75  
GSR No. 801 dated 28-6-75
32. " No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76  
GSR No. 677 dated 15-5-76
33. " No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76  
GSR No. 1671 dated 27-11-76
34. " No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78  
GSR No. 95 dated 20-1-1979

- 35. Notification No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80  
GSR No. 1118 dated 25-10-80
- 36. " No. 12019/1/78-B(A), dated 16-12-80  
GSR No. 44 dated 10-1-81
- 37. " No. 12019/8/80-B(A), dated 20-10-81  
(First Amendment) GSR No. 1002 dt. 7-11-81
- 38. " No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-82  
GSR No. 137 dated 6-2-82
- 39. " No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-84  
GSR No. 740 (EO) dated 23-10-84
- 40. " No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85
- 41. " No. 45019/83/82-B(A), Vol. IV (ii)  
dated 8-5-87
- 42. " No. 1/9/86-S.II/AIR/B(A), dt. 25-10-87
- 43. " No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dated 4-4-88
- 44. " No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88
- 45. " No. 14/18/86-S.II/B(A), dated 25-5-88

**भारत विमानन संशोधन**

नई दिल्ली, 3 जून, 1988

सा.का.नि. 498 वायुमान नियम, 1937 का धीरे संशोधन करने के लिए कठिन प्रयास भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 16 जनवरी, 1988 में, केन्द्रीय सरकार के भारत विमानन संशोधन की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 तारीख 11 दिसम्बर, 1987 के साथ प्रकाशित किए गए थे, जिनके द्वारा ऐसे सभी स्थितियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है घासेप और सुझाव मांगे गए थे।

धीरे उक्त राजपत्र जनता की तारीख 19 जनवरी, 1988 की उप-बन्ध कर दिया गया था;

धीरे जनता से कोई घासेप का सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

धत: धन, केन्द्रीय सरकार वायुमान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुमान नियम, 1937 का धीरे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बरती है, धर्मात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुमान (द्वितीय संशोधन) नियम, 1988 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. वायुमान नियम, 1937 की धर्मात् 1 में,

(1) धद (3) धीरे उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित धद व प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, धर्मात् :

(3) राष्ट्रपति भवन के चारों धीरे का क्षेत्र को निम्नलिखित निर्देशकों से घिरा हुआ है :-

- 283700 उ. 771145 पू.
- 283700 उ. 771230 पू.
- 283545 उ. 771230 पू. सम्पूर्ण
- 283445 उ. 771145 पू.
- 283700 उ. 771145 पू.

भूतल स्तर से किसी धर्मात्मित उन्नततर स्तर तक उन्नत: विस्तार करके

(ii) धद 3 धीरे उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित धद धीरे प्रविष्टियां रधी जायेंगी, धर्मात् :

"(4) धद 3 केतमोयक कारखाने से 10 मि.मी. के धर्मात् न्याय के भीतर का 2723 उ. 07742 पू. पर स्थित क्षेत्र सम्मिलित है। सम्पूर्ण

भूतल स्तर से किसी धर्मात्मित उन्नततर स्तर तक उन्नत: विस्तार करके।

(5) धुपनेधर के निष्कट का क्षेत्र को निम्नलिखित निर्देशकों से घिरा हुआ है :-

- 2030 उ. 8000 पू.
- 2030 उ. 8548 पू.
- 2034 उ. 8545 पू.
- 2044 उ. 8545 पू.
- 2044 उ. 8600 पू.
- 2030 उ. 8600 पू.

सम्पूर्ण;

भूतल स्तर से 50,000 फीट के उन्नततर स्तर तक उन्नत: विस्तार करके।

[सा.स. 11012/4/86 ए.]

धो.धो. धर्मात्, धधर अधिनियम

धधर अधिनियम

धुप नियम (वायुमान नियम, 1937) धिनांक 27 मार्च, 1937 के भारत के राजपत्र (भाग 1) के धिनांक 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या धी-28 द्वारा प्रकाशित।

तापस्वात निम्नलिखित द्वारा संशोधित :-

धधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1507 धिनांक 16 नवम्बर, 1962;

धधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1659 धिनांक 12 नवम्बर, 1985; धीरे

धधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604 धिनांक 1 जून, 1985।

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**

New Delhi, the 3rd June, 1988

G.S.R. 498.—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937 were published with the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation No. GSR 45 dated December, 11th 1987 in the Gazette of India Part-II, Section 3, sub-section (i) dated January 16th, 1988 inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the January 16th, 1988;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft;